318/7

पत्रावली पेश हुई। वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 136 LR Act प्रस्तुत कर दौरान बहस इस तथ्य का निवेदन किया कि वाके ग्राम इसरदा की जमाबन्दी संवत 2018-21 के खाता सं. 592 खसरा नं. 1158, 1115, 1276, 1294, 1300, 1178 रकबा 5.1118 माली मंदिर श्री गोपाल जी का नाम अंकित है। उक्त भूमि माली रिजूम होने से बिना नामान्तरण के खोले ही जमाबन्दी ग्राम ईसरदा सं. 2022-2025 खाता सं. 555 रकबा 5.1118 का अंकन माली मंदिर श्री गोपाल जी को हटा कर रोड वल्द मुवाना माली के नाम अंकित कर दिया गया जो विधि विपरीत है। यह कि खसरा नं. 1158, 1115, 1276, 1294, 1300, 1178 का मिलान सेटलमेंट सं. 2056 से 30, 301, 653, 669, 674, 985/396 अंकित हो गये हैं। उक्त विवादित आराजियात नामान्तकरण सं. 1444 से ~~[illegible]~~ खातेदारान के वारीसान के नाम लगा गई है तथा जमाबन्दी 2030-2033 में अंकन हो गया है। यह कि नवीन भू प्रबन्ध से बनी जमाबन्दी ग्राम सोलमपुर संवत 2061-64 के खाता संख्या 158 पर आराजी खसरा नं. 30, 301, 653, 669, 674, 985/396 पर खातेदार रायजी पुत्र रोड ~~[illegible]~~ माली का नाम अंकित है जिसे हटाकर विवादित आराजियात पुनः मंदिर श्री गोपाल जी विराजमान इसरदा के नाम लगाया जाना न्यायसंगत है क्योंकि मूर्ति idol एक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	perpetual minor है शाश्वत नाबालिग है जिसकी भूमि किसी के भी द्वारा किसी को भी नहीं दी जा सकती है। अतः अ० इंडाज कुर्की के आदेश फरमावें।	
	इसके बाद वादी अन्तर्गत धारा 136 एक्ट, जवाब प्रतिवादीगण, दस्तावेजात मुकतरफा वादी एवं पत्रावली पर गौर किया तो पाया कि वाद वादी अन्तर्गत धारा 136 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य होने पर स्वीकार accept किया जाता है तथा तहसीलदार व चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वाके ग्राम सोलपुरा की जमाबन्दी संवत 2061-64 के खातासं. 158 पर आराजी ख.नं. 30, 301, 653, 669, 674, 985/396 पर अंकित खातेदारान के नाम हटा कर उनके स्थान पर मंदिर श्री गोपालजी विराजमान इसरदा का अंकन कर तदनुसार नकल राजस्व रेकार्ड में इंडाज कुर्की की जावे। आदेश जारी हो। निर्णय आज दिनांक 8/10/07 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो।	जारी 2026 8/10/07
	ओहार	